सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : नरेश बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 02/2018 (निगरानी पंचायत)
RCMS No: 2018/00009

अनवान

1. श्री खेमराज पिता गेहरीलाल नागदा, निवासी बाघपुरा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर

– निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्रीमती प्यारी बाई पत्नि स्व. डालचन्द रावत, निवासी बाघपुरा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर
2. ग्राम पंचायत बाघपुरा जरिये सचिव ग्राम पंचायत बाघपुरा, पंचायत समिति झाड़ोल जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित

1. श्री रमेश नन्दवाना, अधिवक्ता निगरानीकर्ता।
2. श्री सुखलाल मेघवाल, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम
विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत बाघपुरा, पंचायत समिति झाड़ोल, दिनांक 05.06.2014

* निर्णय *

दिनांक– 05-09-2019

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी अंतर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि निगरानीकर्ता ने दिनांक 01.05.1995 को विपक्षी संख्या 1 के पति श्री डालचन्द रावत से उनके कब्जे के भूखण्ड का आधा हिस्सा 9501/–रूपये नकद अदा कर क्रय किया था। उक्त भूमि पर निगरानीकर्ता द्वारा मकान बनाकर निवास किया जा रहा है। इस भूखण्ड का नाप पूर्व से पश्चिम 14 फीट एवं उत्तर से दक्षिण 42 फीट है। उक्त भूखण्ड के पश्चिम की ओर डालचन्द जी के कब्जे का इसी नाप का आधा भूखण्ड रह गया, जिसे भी दिसम्बर 1995 में 10,000/–रूपये कीमत अदा कर मौखिक इकरार माध्यम से कब्जा निगरानीकर्ता ने प्राप्त कर लिया। विपक्षी संख्या 1 के पति की मृत्यु के उपरान्त विपक्षी संख्या 1 ने उक्त भूखण्ड को लेकर कार्यवाही करना प्रारम्भ कर दिया। इसी क्रम में विपक्षी संख्या 1 द्वारा माननीय सिविल न्यायाधीश (व.ख.) व अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झाड़ोल में वाद संख्या 06/2014 दायर कराया गया, जो न्यायालय में लम्बित है। उक्त वाद प्रस्तुत करने के उपरान्त विपक्षी संख्या 1 ने साठ–गाठ कर निगरानीकर्ता के कब्जे के भूखण्ड का पट्टा दिनांक 05.06.2014 अंकित करा जारी करवा लिया। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा विधि विपरित है एवं उक्त पट्टे सम्बन्धी समस्त कार्यवाही एक ही दिन की जाना पंचायत

के अभिलेख से प्रमाणित होता है। विपक्षी संख्या 1 को जारी पट्टे की भूमि पर निगरानीकर्ता का मकान बना हुआ है। पट्टा जारी करने से पूर्व न तो कोई उद्घोषणा जारी की गयी, न कोई अनापत्ति प्राप्त की गयी एवं न ही किसी प्रकार से मौका रिपोर्ट तलब की गयी। ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये अन्य पट्टो में पडौस के रूप में स्पष्ट रूप से प्रार्थी का मकान व भूखण्ड दर्शाया गया है, जबकि इस पट्टे में जानबूझकर पडौस में डालचन्द का मकान होने का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार उक्त पट्टा विधि विरूद्ध होने से निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 05.06.2014 निरस्त किया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से श्री सुखलाल मेघवाल, अधिवक्ता द्वारा वकालात पत्र पेश कर प्रकरण में जवाब पेश किया कि निगरानीकर्ता द्वारा मिथ्या तथ्यों के आधार पर उक्त निगरानी पेश की है। विपक्षी संख्या 1 के पति द्वारा न तो कभी निगरानीकर्ता को कोई भूखण्ड विक्रय किया है और न ही कोई रकम प्राप्त की है। पट्टा जारी करने से पूर्व स्थल निरीक्षण किया जाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। दिनांक 15.06.2013 को पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव संख्या 06 पारित कर आपत्तियां अमंत्रित कर दिनांक 20.06.2013 तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर पंचायत की बैठक में गणापूर्ति होने के बाद स्थल निरीक्षण हेतु दो जनप्रतिनिधियों द्वारा निरीक्षण किया गया एवं उक्त निर्णय के उपरान्त दिनांक 05.06.2014 को 565/—रूपये शुल्क पर पट्टा जारी किये जाने का निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकार निगरानीकर्ता का यह कथन गलत है कि उक्त पट्टे की समस्त कार्यवाही एक ही दिन में हुयी हो। इस प्रकार निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय खारित की जावे। प्रकरण में ग्राम पंचायत बाघपुरा, पंचायत समिति झाड़ोल से पट्टे से सम्बन्धित मूल पत्रावली तलब की जाकर प्रकरण में बहस हेतु तिथि नियत की गयी।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुये। बहस प्रारम्भ करते हुये निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने स्पष्ट किया कि मौजा बाघपुरा तहसील झाडोल की आराजी संख्या 1258 रकबा 6.5000 हेक्टेयर बिलानाम आबादी भूमि को जिला कलक्टर उदयपुर के आदेश क्रमांक 892—97 दिनांक 01.05.2017 द्वारा आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत बाघपुरा को हस्तान्तरित की गयी है, जबकि विपक्षी संख्या 1 को कथित पट्टा वर्ष 2014 में जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत के नाम भूमि आबादी दर्ज हो जाने से पूर्व ही ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या 1 को पट्टा जारी कर दिया गया है, जो कि अवैध कार्यवाही है। जिस भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या 1 को दिया गया है, उसे विपक्षी संख्या 1 के पति श्री डालचन्द रावत से निगरानीकर्ता द्वारा जरिये मौखिक इकरार क्रय कर लिया गया है एवं उक्त भूमि पर प्रारम्भ से ही निगरानीकर्ता का कब्जा चला आ रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या 1 को जारी पट्टे में समस्त कार्यवाही एक ही दिवस में कर ली गयी है। इसके अतिरिक्त दूसरे

पट्टो में मेरा पडोस दर्शाया गया है, किन्तु विपक्षी संख्या 1 को जारी पट्टे में नहीं दर्शाया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा की गयी कार्यवाही विधि विरूद्ध होने से विपक्षी संख्या 1 को जारी पट्टा दिनांक 05.06.2014 निरस्त किया जावे। निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कियेः—

- 2016 (1) C.T. (पृष्ठ संख्या 160)

विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता ने बहस में भाग लेते हुए स्पष्ट किया कि विपक्षी संख्या 1 को ग्राम पंचायत बाघपुरा द्वारा पट्टा दिनांक 05.06.2014 को जारी किया गया है एवं निगरानीकर्ता द्वारा उक्त निगरानी वर्ष 2018 में लगभग 4 वर्ष उपरान्त प्रस्तुत की गयी है। विपक्षी संख्या 1 को जारी पट्टे की जानकारी निगरानीकर्ता को प्रारम्भ से थी। ऐसी स्थिति में यह तथ्य स्वीकार नही किया जा सकता कि निगरानीकर्ता को उक्त पट्टे के बारे में जानकारी न हो। आराजी संख्या 1258 की भूमि प्रारम्भ से ही आबादी भूमि दर्ज थी, जिस पर विपक्षी संख्या 1 के पति का कब्जा चला आ रहा है। विपक्षी संख्या 1 को जारी किये गये पट्टे की कार्यवाही एक दिन में न होकर नियमानुसार कोरम में प्रस्ताव आमंत्रित कर, मौका जांच कर, आपत्तियां प्राप्त कर विधिनुरूप कार्यवाही की गयी है, जो कि पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है। निगरानीकर्ता का कथन है कि वर्ष 1995 में निगरानीकर्ता द्वारा उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 के पति श्री डालचन्द रावत से जरिये मौखिक इकरार क्रय की गयी है, किन्तु यह स्पष्ट है कि मौखिक इकरार के आधार पर कोई दस्तावेज क्रय अथवा विक्रय नहीं होता है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से सव्यय खारिज की जावे।

हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध निगरानीकर्ता की निगरानी, विपक्षी के जवाब, ग्राम पंचायत बाघपुरा की पत्रावली आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गंभीरता से मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत बाघपुरा के समक्ष आबादी भूमि में स्थित पुराने गृह का पट्टा चाहने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर नियमानुसार दस्तावेज, मौका पर्चा रिपोर्ट, आपत्तियां प्राप्त कर पट्टा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 05.06.2014 को जारी किया गया है, किन्तु मामले में यह स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 1 को जारी पट्टे दिनांक 05.06.2014 को उक्त भूमि जिसके आराजी संख्या 1258 होकर उक्त तिथि को बिलानाम गैर काबिल काश्त किस्म आबादी दर्ज थी। जिला कलक्टर उदयपुर के आदेश क्रमांक प.12/3(28) राज./आर./17/892—97 दिनांक 01.05.2017 द्वारा ग्राम पंचायत बाघपुरा को आबादी विस्तार हेतु आरक्षित/हस्तान्तरित की गयी अर्थात पूर्व में भूमि की किस्म आबादी अवश्य थी, किन्तु ग्राम पंचायत के नाम दिनांक 01.05.2017 को हस्तान्तरित होने से ग्राम पंचायत का टाईटल दिनांक 01.05.2017 को बनता है, किन्तु विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा दिनांक 05.06.2014 को जारी कर दिया गया है। यदि विपक्षी संख्या 1 आबादी भूमि का पट्टा प्राप्त करने की पात्र है, तो भी यह पट्टा दिनांक 01.05.2017 के उपरान्त ही जारी किया जाना चाहिये था। ग्राम पंचायत को भूमि हस्तान्तरित करने से पूर्व पट्टा जारी किया जाना अनुचित है। शेष बिन्दुओं पर

निगरानीकर्ता का कथन जैसे मौखिक इकरार होना, एक ही दिन में समस्त कार्यवाही होना, पट्टे की जानकारी विलम्ब से होना आदि तथ्य प्रकरण में स्वीकार किये जाने योग्य नही पाये जाते है। मौखिक इकरार के आधार पर कोई भी क्रय–विक्रय वैध नही माना जा सकता है। यद्यपि ग्राम पंचायत द्वारा प्रकरण में समस्त औपचारिकता पूर्ण कर पट्टा सम्बन्धी पत्रावली तैयार की गयी है, किन्तु आबादी भूमि ग्राम पंचायत को हस्तान्तरण से पूर्व पट्टा जारी करना उचित नही है। यदि विपक्षी संख्या 1 पट्टा प्राप्त करने हेतु पात्र है, तो भी उक्त कार्यवाही दिनांक 01.05.2017 के उपरान्त ही ग्राम पंचायत द्वारा की जानी चाहिये थी। ऐसी स्थिति में प्रकरण ग्राम पंचायत बाघपुरा को प्रतिप्रेषित किये जाने योगय पाया जाता है।

अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बाघपुरा, पंचायत समिति बाघपुरा द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 05.06.2014 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत बाघपुरा को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि हमारे द्वारा दिये गये उपरोक्त प्रेक्षणों को ध्यान में रखते हुये नियमानुसार विपक्षी संख्या 1 की नवीन सिरे से पात्रता की जांच की जावे एवं यदि विपक्षी संख्या 1 पट्टा प्राप्त करने की पात्रता रखती हो तो नियमानुसार नवीन सिरे से पट्टा जारी करने की प्रक्रिया अपनाकर पट्टा जारी किया जावे।

निर्णय आज 05.09.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर